

पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर



EAST CENTRAL RAILWAY HAJIPUR





“नागरिक सुरक्षा” नागरिकों का एक स्वैच्छिक संगठन है, जो नागरिकों, सरकार, स्थानीय स्व-निकाय, स्वैच्छिक एजेंसियों आदि द्वारा जान-माल की सुरक्षा तथा दुश्मन के आक्रमण के प्रभाव को कम करने के लिए संगठित किया जाता है। नागरिकों के मनोबल को ऊंचा रखने और किसी भी युद्ध की दहशत से बचने के लिए नागरिक सुरक्षा के स्वयंसेवक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नागरिक सुरक्षा में योजना और प्रशिक्षण, नागरिकों को इस बारे में शिक्षित करता है कि युद्ध के समय अपनी रक्षा कैसे करें और सभी नागरिकों का समर्थन प्राप्त करें। नागरिक सुरक्षा के अधिकार क्षेत्र को अब, प्राकृतिक आपदाओं और मानव निर्मित आपदाओं के दौरान सहायता प्रदान करने के लिए आगे बढ़ा दिया गया है।

नागरिक सुरक्षा नियंत्रक पूर्व मध्य रेलवे

नागरिक सुरक्षा का परिचय
नागरिक सुरक्षा के उद्देश्य
नागरिक सुरक्षा की आवश्यकता
नागरिक सुरक्षा की संगठनात्मक संरचना
नागरिक सुरक्षा की भूमिका
नागरिक सुरक्षा के तहत विभिन्न सेवाएं
नागरिक सुरक्षा के तहत नगरों का वर्गीकरण तथा सेवाएँ
नागरिक सुरक्षा का प्रशिक्षण
ई.सी. रेलवे में नागरिक सुरक्षा की हाल की गतिविधियां

नागरिक सुरक्षा का परिचय

“नागरिक सुरक्षा” नागरिकों द्वारा, नागरिकों के सुरक्षा के लिए, गठित एक स्वयंसेवी संगठन है जिसे सरकार और स्थानीय स्व-निकायों द्वारा संगठित किया जाता है। भारत में यह द्वितीय विश्व युद्ध की अवधि के दौरान देश के साथ-साथ राज्य में भी काम करना शुरू कर दिया था। भारत की रक्षा अधिनियम, 1962 के अधिनियमन के साथ चीनी आक्रमण के मद्देनजर इसे फिर से संगठित किया गया। 1962 में आपातकाल की घोषणा तक भारत सरकार की नागरिक सुरक्षानीति, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नागरिक सुरक्षा उपायों की आवश्यकता के प्रति जागरूक बनाने और तत्कालीन आपातकालीन राहत संगठन (ERO) योजना के तहत प्रमुख शहरों और कस्बों के लिए नागरिक सुरक्षा योजना तैयार रखने तक ही सीमित था। 1962 में चीनी आक्रमण और 1965 में भारत-पाक संघर्ष ने नागरिक सुरक्षा की नीति और दायरे के बारे में फिर से सोचने का कारण बना। परिणामस्वरूप, नागरिक सुरक्षा को नागरिक सुरक्षा अधिनियम (नंबर 27) 1968 के अधिनियमन के साथ कानूनी दर्जा मिला, जिसे मई 1968 में संसद द्वारा पारित किया गया और 10 जुलाई 1968 से पूरे देश में लागू हुआ।

इस अधिनियम के तहत नागरिक सुरक्षा नियम और विनियम बनाए गए। 1971 में पाकिस्तान की ओर से देश पर फिर से शत्रुतापूर्ण हमले किए गए, तब नागरिक सुरक्षा संगठन ने युद्ध की आपात स्थितियों के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अपनी प्राथमिक भूमिका और चरित्र को बनाए रखते हुए, नागरिक सुरक्षा कोर को 2009 में नागरिक सुरक्षा अधिनियम के संशोधन के साथ आपदा प्रबंधन की एक अतिरिक्त भूमिका सौंपी गई है।

अब नागरिक सुरक्षा के कार्यक्षेत्र को एक ऐसे संगठन में बदल दिया गया है जो नागरिकों को "शत्रु हमले" के साथ-साथ प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों आपदाओं से लड़ने के लिए तैयार किया जाता है।

नागरिक सुरक्षा के उद्देश्य

1. जीवन बचाने के लिए।
2. संपत्ति के नुकसान को कम करने के लिए।
3. उत्पाद की निरंतरता और यातायात के निर्बाध प्रवाह को बनाए रखने के लिए।
4. नागरिकों के उच्च मनोबल को बनाए रखने और किसी भी तरह की दहशत से बचाने के लिए।

नागरिक सुरक्षा की आवश्यकता

शत्रु का हवाई हमला सामुदायिक जीवन के कई पहलुओं को अचानक से प्रभावित करता है। दुश्मन के हमले पर एक राष्ट्र की तैयारी नागरिकों के मनोबल को कम करेगी और दहशत पैदा करेगी। इसलिए नागरिक सुरक्षा के स्वयंसेवक नागरिकों के मनोबल को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नागरिक सुरक्षा में योजना और प्रशिक्षण, समुदाय को इस बारे में शिक्षित करता है कि युद्ध के समय अपनी रक्षा कैसे करें और सभी नागरिकों का समर्थन प्राप्त करें।

नागरिक सुरक्षा की संगठनात्मक संरचना

केंद्रीय स्तर पर:- भारत में गृह मंत्रालय नागरिक सुरक्षा का समग्र प्रभारी है।

समिति :-

- 1.- सलाहकार समिति:- योजना और समन्वय के लिए।
- 2.- नागरिक सुरक्षा समिति:- नीतिगत मामलों के लिए

कार्यकारी अधिकारी:-

- 1.- नागरिक सुरक्षा महानिदेशक (राष्ट्रीय स्तर)
- 2.- नागरिक सुरक्षा निदेशक (राज्य स्तर)
- 3.- नागरिक सुरक्षा नियंत्रक (जिला स्तर)

रेलवे स्तर पर नागरिक सुरक्षा संगठन संरचना

रेलवे पदनाम	नागरिक सुरक्षा पदनाम
ई०डी०सी०ई०/जी०	रेलवे बोर्ड स्तर पर नागरिक सुरक्षा निदेशक,
डी०जी०एम०/जी०	जोनल स्तर पर नागरिक सुरक्षा नियंत्रक
सीनियर ए०डी०जी०एम०/ए०डी०जी०एम० सी०डी०आई०	उप नागरिक सुरक्षा नियंत्रक नागरिक सुरक्षा निरीक्षक
ए०डी०आर०एम०	मंडलों के आपातकालीन अधिकारी।

नागरिक सुरक्षा की भूमिका

आपातकाल के दौरान

1. शत्रु हवाई हमले व प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, तूफान के खतरे की चेतावनी से नागरिकों को अवगत कराना तथा बचाव के बारे में सही निर्देश देना।
2. लोगों के मनोबल को बनाए रखना तथा किसी भी दहसत को फैलने से रोकना।
3. लोगों को सलाह देना कि वो या तो खतरे वाली क्षेत्र को खाली कर दें अथवा सुरक्षित शरण लें।
4. हमले में बचे लोगों के लिए तत्काल राहत की व्यवस्था में सहयोग करना।
5. फ्रंटलाइन आपातकालीन सेवाओं को बचाव कार्य तथा अग्निशमन में सहायता करना।
6. प्राथमिक उपचार और चिकित्सा देखभाल में सहायता।
7. मलबे की निकासी तथा सामान्य कार्यवाहली में सहायता करना।

शांतिकाल के दौरान

1. आपात स्थिति के खिलाफ तैयारियों को बनाए रखने के लिए नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों के लिए संयुक्त अभ्यास और प्रशिक्षण शिविर कार्यरत होना चाहिए।
2. नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों द्वारा रेल कर्मचारी, रेल यात्री तथा नागरिकों को प्रदर्शन और मॉक ड्रिल के माध्यम से न्यूनतम उपलब्ध साधनों के साथ आपदा से लड़ने के तरीके के बारे में शिक्षित करना चाहिए।

नागरिक सुरक्षा के तहत विभिन्न सेवाएं

1. मुख्यालय सेवाएं
2. वार्डन सेवाएं
3. अग्निशमन सेवाएं
4. हताहत सेवाएं
5. संचार सेवाएं
6. प्रशिक्षण सेवाएं
7. बचाव सेवाएं
8. कल्याण सेवाएं
9. डिपो और परिवहन सेवाएं
10. क्षति रक्षा सेवाएं
11. शव निस्तारण सेवाएं
12. आपूर्ति सेवाएं

नागरिक सुरक्षा के अनुसार नगरों का वर्गीकरण:-

वर्ग IA:- परमाणु ऊर्जा संस्थान के पास का शहर जहाँ दुश्मन का हवाई हमला भारी तबाही मचा सकता है और हमारे देश के मनोबल को दबा सकता है।

वर्ग I:- औद्योगिक और सैन्य छावनी स्थित शहर जो दुश्मन के हवाई हमले का महत्वपूर्ण निशाना हो सकता है।

वर्ग II:- ऐसा नगर जिसकी जनसँख्या दो लाख से अधिक हो तथा उसके 20 कि०मी० के दायरे में सैन्य ठिकाना हो।

वर्ग-III:- वह नगर जो शत्रु के आक्रमण के निशाने पर न हो परन्तु उद्योग एवं सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो।

वर्ग IV:- 2 लाख से अधिक आबादी वाला दूर का शहर जहाँ रासायनिक उद्योग हो जो बड़ी आपदा के स्रोत हो।

नगरों के वर्गीकरण के अनुसार विभिन्न नागरिक सुरक्षा सेवाएँ की आवश्यकता:-

1. श्रेणी IA & I शहर - 12 सेवाएँ
2. श्रेणी II के शहर - 1 से 6 सेवाएँ
3. श्रेणी IV शहर- बचाव, अग्निशमन और कल्याण सेवाएँ

नागरिक सुरक्षा के अंगगत विभिन्न प्रशिक्षण:-

1. सिविल डिफेंस इंस्ट्रक्टर
2. औक्जिलरी फायर फायटिंग
3. बचाव
4. दुर्घटना राहत सेवा
5. बुनियादी आपदा प्रबंधन
6. मूल डिपो और परिवहन सेवा
7. वार्डन सेवा
8. बाढ़ चक्रवात और भूकंप प्रबंधन
9. कल्याण सेवा
10. बेसिक लाइफ सपोर्ट
11. बेसिक सीडी संचार
12. मुख्यालय और प्रशिक्षण सेवा

नागरिक सुरक्षा की सफलता बहुत हद तक प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या पर निर्भर करती है जो वास्तव में किसी आपात स्थिति का सामना कर सके और जान-माल को बचाने में सक्षम हो सके। भारतीय रेलवे एक राष्ट्रीय परिवहन और देश का सबसे बड़ा नियोक्ता है, जिसे देश की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार सप्लाई लाइन और कनेक्टिविटी को बाधित करने के लिए भारतीय रेलवे, दुश्मन के हवाई हमले का एक महत्वपूर्ण निशाना हो सकता है। भारतीय रेलवे हमेशा से राजनितिक विरोधियों, असामाजिक और विनाशकारी तत्वों के निशाने पर रहता है जो तोड़फोड़ गतिविधियों के माध्यम से अपनी अवांछित मांगों को पूरा करने के लिए लक्ष्य बनाता है। इस प्रकार रेलवे प्रशासन को किसी भी आपात स्थिति का सामना करने के लिए बड़ी संख्या में प्रशिक्षित नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों के साथ एक मजबूत सीडी संगठन की आवश्यकता होती है ताकि रेलकर्मों और यात्रियों की जान बचाई जा सके तथा यातायात का निर्बाध प्रवाह बना रहे।

राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा कॉलेज नागपुर, नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण के लिए भारत सरकार के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में से एक है जो दुर्घटना सेवा, अग्निशमन सेवा, बचाव सेवा, प्राथमिक उपचार आदि जैसे विषयों में नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को उत्तम प्रशिक्षण प्रदान करता है। रेलवे प्रशासन को इन सुविधाओं का अधिकतम लाभ उठाना चाहिए तथा अधिकतम स्वयंसेवकों को बेहतर प्रशिक्षण देकर एक मजबूत नागरिक सुरक्षा संगठन तैयार करना चाहिए जो आपात स्थिति का सामना करने में कारगर हो।

ई.सी. रेलवे में नागरिक सुरक्षा की हाल की गतिविधियां

पूर्व मध्य रेल हाजीपुर के अधीन समस्तीपुर मंडल के जयनगर रेलवे स्टेशन पर 25 तथा 26 जुलाई 2022 को नागरिक सुरक्षा अभ्यास/ प्रशिक्षण/ प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर के नागरिक सुरक्षा संगठन के स्वयंसेवक तथा जयनगर स्टेशन व पास के स्टेशन से आए कर्मचारियों ने भाग लिया। यह कार्यक्रम नियंत्रक नागरिक सुरक्षा सह उप महाप्रबंधक/ सा० पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर/ पूर्व मध्य रेल हाजीपुर के निर्देशानुसार सी डी आई/ हाजीपुर, फायर आफिसर/ हाजीपुर, सी डी आई/ गोरखपुर तथा स्टेशन अधीक्षक/ जयनगर के पर्यवेक्षण में कर्मचारियों तथा उपस्थित यात्रियों / नागरिकों के समक्ष नागरिक सुरक्षा अभ्यास/ प्रशिक्षण/ प्रदर्शन कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में नागरिक सुरक्षा संगठन के स्वयंसेवकों द्वारा प्राथमिक उपचार सेवा, बचाव सेवा तथा अग्निशमन सेवा का सजीव प्रदर्शन किया गया। इस प्रशिक्षण/ प्रदर्शन कार्यक्रम में प्राथमिक उपचार के साथ-साथ अग्निशमन सेवा पर विशेष ध्यान दिया गया जिसमें आग के प्रकार, उसके लगने के कारन, आग की पहचान कर उस पर नियंत्रण पाने तथा अग्निशमन यंत्र के प्रयोग करने के तरीकों का सजीव प्रदर्शन किया गया।



"Civil Defence" is a voluntary organization of Civilians, organized by Civilians, Government, Local Self-bodies, Voluntary agencies etc. to safeguard lives and properties and minimize the effects of enemy attack. During war Civil Defence volunteers play vital role to keep up the morale of citizen high and avoid any war panic. They provide preventive measures to citizen about how to protect themselves and get everyone's support. The jurisdiction of Civil Defence is further extended to render assistance during natural calamities and man-made disasters.

**Controller of Civil Defence
E. C. Railway**

Introduction of Civil Defence
Aims of Civil Defence
Need of Civil Defence
Organization structure of Civil Defence
Role of Civil Defence
Various services under Civil Defence
Classification of city under Civil Defence & need of CD Services
Training of Civil Defence
Recent activities of Civil Defence in E. C. Railway

Introduction of Civil Defence

Civil Defence is a volunteer based organisation of Civilians being organised by Government and local self-bodies to minimize the effect of enemy action on men and materials at the time of war and also during natural calamities and man-made disaster. In India it was started to functioning in the country as well as in the state during 2nd world war periods. It was re-organised during the wake of Chinese aggression with the enactment of Defence of India Act, 1962. Civil Defence got the legal status with the enactment of Civil Defence Act (No.27) 1968 which was passed by parliament in May 1968 and came into force, throughout the country, since 10th July 1968. Civil Defence rules and regulation framed under this act.

Civil Defence policy of the Government of India till the declaration of emergency in 1962 was confined to making States and Union territories conscious of the need of civil protection measures and keep ready civil protection plan for major city and towns under the then Emergency Relief Organisation (ERO) scheme. Chinese aggression in 1962 and Indo-Pak conflict in 1965 led to re-thinking about the policy and scope of Civil Defence. As a result the Civil Defence Act 1968 prepared and passed by parliament. The country was subjected to further hostile attacks from Pakistan in 1971 when Civil Defence Organisation had played a vital role during war emergencies. Now mandate of Civil defence has been changed from being an organisation that only prepares citizen to face “hostile enemy attack” to include preparing citizens in responding to disasters both natural and manmade.

While retaining its primary role and character, Civil Defence Corps has been assigned with an additional role of Disaster Management with the amendment of Civil Defence Act in 2009.

.Aims of Civil Defence

1. To save life.
2. To minimize damage of property.
3. To maintain continuity of production and uninterrupted flow of traffic.
4. To keep up the high morale of the citizen and avoid any panic.

Need of Civil Defence

Enemy air raid affects many aspect of community life with great suddenness. Unpreparedness of a nation on enemy attack will lower the morale of citizen and create panic. Therefore the volunteers of Civil Defence play vital role to keep up the morale of citizens. Planning and training in civil defence educate the community about how to protect themselves and get everyone's support at the time of war.

Organization structure of Civil Defence

Organization Setup on Central Level

Ministry of Home Affairs is overall in-charge of Civil Defence in India.

Committee

- 1.- Advisory Committee- for planning and co-ordination.
- 2.- Civil Defence Committee- for policy matters

Executives

- 1.- Director General of Civil Defence (National Level)
- 2.- Director of Civil Defence (State Level)
- 3.- Controller of Civil Defence (District Level)

Organization Setup on Railways Level

Railway designation	Civil Defence designation
Executive Director Civil Engineering /General (EDCE/G) Railway Board	Director of Civil Defence, Indian Railways
Dy. General Manager/General (DGM/G)	Controller of Civil Defence for Zone
Sr.ADGM/ADGM	Dy. Controller of Civil Defence for Zone & CDI for his help
Additional Divisional Railway Manager (ADRM)	Emergency officer of Divisions.

Role of Civil Defence

During emergency

1. Warnings message issue about enemy air attack or any natural calamity like cyclone & floods to public and provide suitable preventive instruction in order to avoid panic.
2. Advice people to protect themselves by either evacuating the area or take suitable shelter.
3. Organizing immediate relief to the survivors.
4. Support frontline emergency services in
 - (a) Rescue operations
 - (b) Fire fighting
 - (c) First Aids & help in medical care
 - (d) Removal of debris and help in installation of normalisation.

During peace time

1. Joint exercises and training camp should be functioning for Civil Defence volunteers in order to maintain preparedness against emergency.
2. Civil Defence volunteers should educate citizen about how to fight against disaster with minimum available means through demonstration and mock drill.

Various services under Civil Defence

1. Head Quarter Services
2. Warden Services
3. Fire fighting Services
4. Casualty Services
5. Communication Services
6. Rescue Services
7. Training Services
8. Welfare Services
9. Depot and Transport Services
10. Salvage Services
11. Corps disposal Services
12. Supply Services

Classifications of town refer to main targeting of enemy air attack.

Class- IA:- The town near by atomic energy institution where enemy air attack may create huge disaster and suppress the morale of our country.

Class- I :- Industrial and military cantonment town that may be important target of enemy air raid.

Class-II:- The town which have more than two laks population and situated near by 20 km from military cantonment area.

Class-III:- The town which may not be under target of enemy attack but is important to see industry and military view.

Class IV:- The distant town which have more than 2 laks population and have chemical industry which is resources of huge disaster.

Various Civil Defence services required as per category of Town

1. Category IA & I towns – 12 services
2. Category II towns – 1 to 6 services
3. Category IV towns—Rescue, Fire fighting & Welfare services

Various Training of Civil Defence

1. civil defence instructor
2. Auxiliary fire fighting
3. Basic of rescue
4. Casualty service
5. Basic Disaster Management
6. Basic Depot & Transport Service
7. Warden Service
8. Flood Cyclone & Earth quake Management
9. Welfare service
10. Basic life support
11. Basic CD communication
12. HQ & Training service

The success of Civil Defence is very much depends upon the number of trained staff who can actually face an emergency and be able to save lives & properties. Indian Railway is a national transport and largest employer of country which known as the life line of country. Thus Indian Railway would be an important target of enemy air attack to disturb connectivity. Indian Railway is always targeting by unsocial and destructives element through sabotage activities in order to fulfil their evil demand. Thus a full flagged Civil Defence Organisation with large number of trained civil defence volunteer is required for railway administration to face any emergency in order to save lives of railwayman and passenger and keep uninterrupted flow of traffic.

National Civil Defence College is one of the best Government of India institute at Nagpur for training of Civil Defence volunteers for subjects like Casualty Service, Fire fighting Service, Rescue Service, First aid services etc, and the Railway Administrations should avail this facilities by deputing a sufficient number of Civil Defence Volunteers to be able to face any kind of disaster

Recent activities of Civil Defence in E. C. Railway

Civil Defence exercise / training / demonstration program was organized on 25 and 26 July 2022 at Jaynagar Railway Station of Samastipur Division under East Central Railway Hajipur. Volunteers of Civil Defence Organization of North Eastern Railway Gorakhpur and employees of Jaynagar railway station and other stations participated in this program. As per instructions of Controller Civil Defence-cum-DGM(G)/ ECR & NER, this joint exercise / training program was conducted under the supervision of CDI/ ECR Hajipur, Fire Officer/ECR Hajipur, CDI/GKP and Station Superintendent of Jaynagar in front of the Railway employees and the Citizen/ passengers were available that time. In this program live demonstration of First Aid Service, Rescue Service and Fire Service was done by volunteers of Civil Defence Organization. In this training/demonstration program, special attention was given to fire service along with first aid, where live demonstration stated about types of fire, causes of fire, ways to identify and control fire and how to use fire extinguisher.











